# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 03/23
GCMS NO-2023/49 सन् 2023

बउनवानी:– मथुरालाल पुत्र मुकना जाति गुर्जर निवासी जाजेडा, तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 72/2022 निर्णय दिनांक 21.12.2022 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश बंसल — वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार शर्मा — नायब तहसीलदार (पैरोकार)

**–: निर्णय :–** दिनांक 24.7.2024

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 72/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2079 (रबी) मे वाके ग्राम जाजेडा तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 1179 रकबा 0.20 है0, किस्म गै0मु0 मरघट की भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का कुम्हारिया द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट 50 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है जिसके द्वारा कृषि का कार्य किया जाना किसी भी तरह सम्भव नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही [illegible] अपीलान्ट को 30 दिवस की सजा की गयी है जिसकी पालना मे थानाधिकारी चौ[illegible]डा द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 25.1.2023 को गिरफ्तार कर लिया था। [illegible] पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही था ओर ना ही भविष्य में कब्जा करेगा। हल्का प[illegible] द्वारा बिना मौका देखे [illegible] की गयी है इसलिए आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। अतः आ[illegible] जैर अपील खारिज फ[illegible]कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:19:01 IST
Reason: SelfAttested



(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है तो पत्रावली में विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट के नोटिस की तामील सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट की अपीलान्ट की पुत्री रामकरणी से करवायी गई तामील से हो जाती है, जिसकी पालना में स्वंय अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 13.12.2022 को उपस्थित हुआ है किन्तु विवादित भूमि पर अतिमक्रमण नही होने के संबंध में किसी प्रकार का जवाब पेश नही किया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपना अतिकमण नही होने बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पेरौकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि स्वंय अपीलान्ट दिनांक 13.12.2022 को न्यायालय मे उपस्थित होने से हो जाती है किन्तु पत्रावली पर पश्तावर्ती अतिक्रमण से संबंधित ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नही है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलान्ट को पूर्व मे भी विवादित भूमि पर से बेदखल किया गया हो। चूंकि अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 मरघट की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण कभी भी शांति भंग होने का अंदेशा है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य मे किसी प्रकार का अतिक्रमण ना तो स्वंय करेगा ओर ना ही उसके परिवारजन करेंगें के आशय का शपथ पेश किया गया है। इसलिए आदेश जैर अपील को सशर्त निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक सशर्त निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लेने बाबत न्यायालय हाजा में इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि विवादित भूमि ख0न0 1179 पर से अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है ओर भविष्य मे उक्त भूमि पर अपीलान्ट अथवा उसके परिवारजन किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करेंगें। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा स्वंय विवादित भूमि की मौके की जॉच करे यदि अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र मे अंकित तथ्यानुसार विवादित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया हो तो सजा माफ समझी जावे ओर यदि विवादित भूमि पर वर्तमान मे भी कब्जा पाया जाता है तो सजा यथावत रहेगी। बेदखली आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:19:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



Scanned with OKEN Scanner